P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-II*October-2014
E: ISSN NO.: 2349 – 980X

सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ एवं महिला सशक्तिकरण (लाडली लक्ष्मी योजना के विशेष संदर्भ में)

गीताली सेनगुप्ता
प्राध्यापक,
विभागाध्यक्ष,
गृहविज्ञान विभाग,
माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,
खण्डवा।

सीमा रजा
सहायक प्राध्यापक,
गृहविज्ञान विभाग,
शासकीय कस्तुरण कन्या महाविद्यालय,
गुना।

सारांश

''महिला सशक्तिकरण का नारा आज चारों ओर ध्वनित हो रहा है, इस परिकल्पना का उपयोग प्रथम बार उन देशों के द्वारा उपयोग में लाया गया जहाँ साक्षरता का प्रतिशत 100 हो चुका है। नारी सशक्तिकरण आज क्यों आवश्यक हो उठा? उसके पीछे निहित भावना शायद नारी को शक्ति सम्पन्न बनाना उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना ही है।'' महिलाओं के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न की जायें ताकि महिला प्रवर्ग अपना समुचित विकास कर सके। महिला अपने अस्तित्व की स्थापना करके अपने व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास कर सके। वैदिक काल में महिला काफी सशक्त थी। धार्मिक दृष्टि से नारी को सम्मान दिया गया, मनुस्मृति में अंकित था कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण,

प्रस्तावना

''जहां नारियों की पूजा और सम्मान होता है वहा पर देवताओं का वास होता है। किन्तु समय परिवर्तन के साथ ही परिस्थितियों में काफी बदलाव आया हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं एवं कुरीतियां अभी भी महिलाओं के संपूर्ण विकास में रोढ़ा बनकर खड़ी है। आज का समाज बालिकाओं को बोझ समझता है उसके अस्तित्व को ही मिटाने पर आमदा है कई स्थानों पर देखा गया है कि नारी ही नारी की जड़ काटन में लगी है, इसका परिणाम भविष्य में कितना घातक होगा। इस विषय पर परिवार, समाज देश को और अधिक गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, इसके स्थान पर समाज मौन है ।

मध्यप्रदे"ा में महिला स"ाक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से स"ाक्त बनाने की पहल की गयी है। प्रदे"ा में महिलाओं और बालिकाओं के लिए कई नये कार्यक्रमों, योजनाओं और नवाचारों को अपनाया गया है । इन नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। अब मध्यप्रदे"ा की पहचान ऐसे प्रदे"ा के रूप में बनो है जहाँ बेटियों को बोझा नहीं बल्कि वरदान माना जाता है। पहली बार प्रदे"ा सरकार ने स्त्री जीवन के हर पड़ाव पर मददगार योजनाएं बनायी हैं। जैसे– लाड़ली लक्ष्मी योजना, बालिका ि"ाक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दि"ाा के कार्यक्रम, कन्यादान योजना, भ्रूण लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध, गोद भराई, अन्नप्रासन, तेजस्विनी, जननी सुरक्षा योजना, जेण्डर बजट, प्रसूति सहायता योजना इत्यादि।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

प्रदे"ा में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, अच्छे भविष्य की आधारि"ाला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह रोकने के उद्दे"य से लाड़ली लक्ष्मी योजना आरंभ की गई है। योजना 1 जनवरी 2006 के उपरान्त जन्मी बालिकाओं के लिए है। मध्यप्रदे"ा सरकार ने बेटी के जन्म को बोझा समझाने की धारणा को खु"ियां मनाने के अवसर में बदल दिया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना से मध्य प्रदे"ा में बेटी को जन्म से ही लखपति होने का वरदान मिला है। बीते तीन वर्ष में प्रदे"ा में साढ़े सात लाख बालिकाएं लाड़ली लक्ष्मी बन चुकी है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में ऐसे माता–पिता जिन्होंने दो जीवित बच्चों के रहते हुए परिवार नियोजन अपना लिया हो तथा जो आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत हों और आयकरदाता न हों, अपनी कन्या का नाम दर्ज करा सकते हैं। यह योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों से संचालित हो रही है। सरकार की तरफ से तीस हजार रूपये का राष्ट्रीय बचत पत्र बेटियों के माँ–बाप को दिया जाता है ।

इस रा"ाि से जो ब्याज मिलेगा, उससे बेटियों को पाँचवी कक्षा तक

पढ़ने पर दो हजार रूपये एकमु"त मिलेंगे, फिर जब बिटिया आठवीं पास करेगी ता उसे चार हजार रूपये मिल जायेंगे। लाड़ली लक्ष्मी जब कक्षा 10वीं में जायेगी तब उसे 7,500 रूपये मिलेंगे। 11वीं और 12वीं में पहुँची लाड़ली लक्ष्मी को पढ़ने के लिए हर महीने 200 रूपये प्राप्त होंगे। इक्कीस वर्ष की होने पर इस लाड़ली लक्ष्मी योजना में बढ़ी हुई रकम (जो एक लाख से भी अधिक हो जायेगी) मिलेगी जो उसके विवाह के काम आयेगी ।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन का उद्दे"य यह ज्ञात करना है कि –

1. मध्यप्रदे"ा सरकार द्वारा परिचालित इस योजना से वास्तव में बालिका भ्रूण हत्या रोकने में कारगर सिद्ध हुयी है।
2. क्या समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई है?
3. यह योजना बाल विवाह रोकने में सफल हो सकी है।

उपकल्पना

मेरी उपकल्पना रही है कि मध्यप्रदे"ा सरकार द्वारा संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना का वास्तविक लाभ बालिकाओं को मिल रहा है।

अध्ययन पद्धति

अध्ययन पद्धति के रूप में द्वैतियक स्त्रोत का उपयोग किया गया– पत्र पत्रिकाओं, पेम्पलेट्स, सरकारी अभिलेखों एवं आँकड़ों साक्षात्कार, सर्वेक्षण तथा इंटरनेट का उपयोग किया गया। अध्ययन के द्वारा निम्न जानकारी प्राप्त की गई –

कार्यालय जिला महिला सशक्तीकरण अधिकारी, जिला खण्डवा (म.प्र.)

लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत मासिक जानकारी (माह अगस्त, 2013) वर्षवार लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों की संख्या

परियोजना का नाम	2007.08	2008.09	2009.10	2010.11	2011.12	2012.13	2013.14
0	1	2	3	4	5	6	6
हरसूद	28	277	256	473	756	511	90
बलड़ी	28	61	182	236	367	260	41
पुनासा	68	495	567	829	1577	1237	249
खालवा	17	428	620	876	1574	903	154
छैगांवमाखन	68	402	518	805	1177	609	156
पंधाना	68	791	761	1133	1857	1145	347
खण्डवा (ग्रामीण)	44	402	501	528	1251	803	164
खण्डवा ("हरी)	135	527	711	591	1344	1094	201
योग	**456**	**3383**	**4116**	**5471**	**9903**	**6562**	**1402**

योजना का लाभ कौन ले सकता है ऐसी बालिकाएँ

1. जिनके माता–पिता मध्य प्रदे"ा के मूल निवासी हो, आयकर दाता न हों।
2. द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता न परिवार नियोजन अपना लिया हो।
3. प्रथम प्रसव की प्रथम बालिका जिनका जन्म 1.4.2008 के उपरान्त हो परन्तु द्वितीय प्रसव के उपरान्त परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा।
4. हितग्राही की आंगनवाड़ी केन्द्र में उपस्थिति नियमित हो।
5. जिस परिवार में अधिकतम दो सन्तान हो माता/पिता की मृत्यु हो गई है, उस परिवार के लिये परिवार नियोजन की शर्त अनिवार्य नहीं होगी, परन्तु माता अथवा पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आव"यक होगा।
6. जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा दूसरे प्रसव पर दो जुड़वां बच्चियां जन्म लेती हैं तो, दोना जुड़वा बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया जावेगा।
7. यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो उसे प्रथम बालिका मानते हुए योजना का लाभ दिया जावेगा।
8. माता पिता की मृत्यु की द"ाा में, बच्ची की उम्र पांच साल होने तक भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
9. प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियाँ होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
10. ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये है, उन्हें यह सुविधा होगी कि आगामी 1 वर्ष की अवधि अर्थात बालिका के जन्म के 2 वर्ष के अन्दर अपील संबंधित जिले के कलेक्टर को कर सकेंगे। प्रकरण मान्य/अमान्य करने के पूर्ण अधिकार कलेक्टर को होंगे।

आवेदन कैसे और कहाँ करना होगा

1. योजना का लाभ लेने के लिये अपने गांव/मोहल्ले के आंगनवाड़ी केन्द्र में संपर्क कर आवेदन करना होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित समस्त दस्तावेज संलग्न कर देना होगा।
3. अनाथ बालिका की द"ाा में संबंधित अनाथालय/संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालय में प्रवे"ा के 1 वर्ष के अंदर बालिका की आयु 6 वर्ष के पूर्व संबंधित परियोजना अधिकारी को आवदन करना होगा।

पंजीकरण कब तक

1. प्रदे"ा की किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र में जन्म के 1 वर्ष के अन्दर अनिवार्यतः पंजीकरण करा लिया गया हो।
2. योजना में पंजीकरण के लिये माता–पिता/अभिभावक द्वारा बालिका के जन्म 1 वर्ष के अंदर संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. ऐसी बालिकाएं जो अपने माता–पिता की पहली संतान हैं एवं जिनका जन्म 31 मार्च 2008 के पूर्व हुआ है तो द्वितीय संतान के जन्म 1 वर्ष के अदर पंजीयन एवं आवेदन कराना आव"यक होगा।
4. अनाथ बालिका की द"ाा में संबंधित अनाथालय/संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालय में प्रवे"ा के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्व संबंधित परियोजना अधिकारी को आवेदन करना होगा।

राशि का प्रदाय

1. प्रकरण स्वीकृति उपरांत हितग्राही के नाम पर लगातार 5 वर्षों तक रूपये 6000/–के राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किये जायेंगे। तदोपरांत :–
2. बालिका के कक्षा 6 वीं में प्रवे"ा लेने पर रूपये 2000 कक्षा 9 वीं में प्रवे"ा लेने रूपये 4000 कक्षा 11 वीं में प्रवे"ा लेने पर रूपये 7500 का एक मु"त भुगतान किया जावेगा।
3. कक्षा 11 वीं में प्रवे"ा लेने के प"चात आगामी 2 वर्ष तक रूपये 200 प्रतिमाह का भुगतान बालिका को किया जावेगा।
4. बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर शेष एक मु"त रा"ाि का भुगतान किया जावेगा, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के प"चात हुआ हो।
5. योजना के मध्य अर्थात् 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व बालिका के आवेदन पर उस दिनांक तक देय राशि का समय पूर्व भुगतान किया जावेगा शर्त यह होगी कि बालिका की आयु 18 वर्ष की हो कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो एवं 18 वर्ष उपरांत उसका विवाह हुआ हो।
6. योजना का लाभ लेने के लिए क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेक्टर पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

निष्कर्ष–अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए –

1. लाड़ली लक्ष्मी योजना दीर्घकालीन योजना है।
2. सरकारी योजनाओं का प्रभाव आरंभिक कुछ वर्षों में आकर्षक प्रतीत होता है बाद में दम तोड़ने लगती है।
3. आदिवासी अंचलों और ग्रामीण इलाकों में अभी भी बाल विवाह का प्रचलन हैं, अतः इस पर पूर्णतः अंकु"ा नहीं लग पाया है।
4. गरीब तबकों की अपेक्षा कन्या भ्रूण हत्या मध्यम एवं उच्च वर्गो में ज्यादा प्रचलित है।
5. खण्डवा जिले में 2007–08 में इस योजना का लाभ विभिन्न परियोजना में कम मात्रा में देखा गया। ग्रामीण अंचलों की अपेक्षा खण्डवा (शहरी) में जागरूकता अधिक देखी गई।
6. वर्ष 2008–09 से 2010–11 एवं 2012–13 तक इस योजना के अंतर्गत लाभग्राहियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही।
7. आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन यह द"ार्ाता है कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ सभी परियोजना में वर्ष 2011–12 में रहा।
8. इस योजना के संबंध में खण्डवा शहरी क्षेत्र में जागरूकता अधिक है।
9. लाड़ली लक्ष्मी योजना ने काफी वाहवाही भी बटोरी है लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि राजधानी में ही कई बेटियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, माता पिता आंगनवाड़ी केन्द्र जाते है तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि शहरी लड़कियों के लिए यह योजना नहीं है।

सुझाव

1. ग्रामीण अंचलों एवं आदिवासी क्षेत्रों में इस योजना का प्रचार–प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर किया जाए ताकि इसका शत प्रति"ात लाभ प्राप्त हो सके।
2. कन्या भ्रूण हत्या का असली कारण हमारी सामाजिक परंपरा और मान्यताएँ है जो मूल रूप से महिलाओं के खिलाफ है। सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन लाना होगा।
3. मात्र ग्रामीण अंचलों एवं आदिवासी क्षेत्रों में नहीं वरन् सभी वर्गो के लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना आव"यक है।
4. समाज में जागरूकता उत्पन्न करने एवं सकारात्मक सोच का विकास करने हेतु और अधिक प्रयास की आाव"यकता है।
5. समाज में अपराध, व्यभिचार और अधिक पैर पसारेगा अतः बालिका की सुरक्षा हेतु कड़े नियम कानून बने और उस पर सख्ती से अमल किया जाए।
6. प्रायः यह देखा गया है कि समयावधि में प्राप्त रा"ाि निकालने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
7. इन योजनाओं के लागू होने के साथ ही उचित मानिटरिंग होना आव"यक है ताकि समय–समय पर आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ

1- कौ"िाक आ"ाा – नारी स"ाक्तीकरण विम"ार्ा एवं यथार्थ पोइन्टर पब्लि"ार्स व्यास बिल्डिंग एम एस एस हाइवे जयपुर 302003 प्रथम संस्करण – 2004
2- वर्मा सवालिया बिहारी – महिला जागृति और स"ाक्तीकरण, अविष्कार पब्लि"ार्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर सोनी एम.एल. 302003 (राज.) प्रथम संस्करण – 2005 गुप्ता संजीव
3- मध्यप्रदे"ा में महिला स"ाक्तीकरण के नये आयाम – जनसंपर्क मध्यप्रदे"ा का प्रका"ान
4- दैनिक भास्कर डॉट कॉम मध्यप्रदे"ा – क्या हमारी बेटी नहीं है लाड़ली लक्ष्मी, 9 अक्टूबर 2012